बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्रांकः-...../ पटना, दिनांक.....
01/उ०नि०–लो०सू०अ0–04/07

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी,
–सह–
उप उद्योग निदेशक,
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार,
(जिला उद्योग केन्द्र, बांका, भागलपुर, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, नालन्दा, रोहतास, सारण, सिवान)
लोक सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार,
उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना।

विषयः– **सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 (2) अनुरूप वित्तीय वर्ष–2016–17 एवं 2017–18 के वार्षिक प्रतिवेदन हेतु सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **उद्योग निदेशालय पत्रांक–3673, दिनांक–25.10.18 एवं पत्रांक–4080 दिनांक–20.11.18, पत्रांक–4195, दिनांक–29.11.18**

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि उक्त से संबंधित प्रतिवेदन अवतक अप्राप्त है।

अनुरोध है कि उक्त संबंधित प्रतिवेदन शीघ्रताशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

ह0/–

लोक सूचना पदाधिकारी,
–सह–
उप उद्योग निदेशक,
उद्योग निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 4519 /पटना, दिनांक 12.12.18
01/उ०नि०–लो०सू०अ0–04/07

प्रतिलिपिः– आईटी प्रबंधक, उद्योग विभाग, को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/12/18

लोक सूचना पदाधिकारी,
–सह–
उप उद्योग निदेशक,
उद्योग निदेशालय,
बिहार, पटना।

पत्रांक–21 / रा.सू.आ.–03 / 2018.सा.प्र.11721 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।

विकास आयुक्त, बिहार।

सरकार के सभी प्रधान सचिव / सचिव।

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 31.8.18

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25(2) के अनुरूप वित्तीय वर्ष–2016–17 एवं 2017–18 के वार्षिक प्रतिवेदन हेतु सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25(2) में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2016–17 एवं 2017–18 के दौरान संपादित कार्यों का प्रतिवेदन राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार कर सरकार को प्रस्तुत किया जाना है ताकि उक्त प्रतिवेदन को विधान मंडल के पटल पर सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सके।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 की उपधारा–2 एवं 3 में उन बिन्दुओं का सविस्तार उल्लेख किया गया है जिसके विषय में प्रतिवेदन तैयार किया जाना है। राज्य सूचना आयोग को संलग्न प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन भेजना है। प्रत्येक विभाग, मुख्यालय के साथ–साथ अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकारों / सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (निदेशालय / बोर्ड / निगम / निकाय / आयोग / प्राधिकार आदि सहित) से संबंधित सूचना एकत्र कर संलग्न प्रपत्र में सी.डी. के साथ राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। यदि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा कोई उल्लेखनीय कार्य किया गया है, तो, अभियुक्ति स्तंभ में इस आशय की प्रविष्टि की जाय ताकि आयोग द्वारा उन्हें पुरस्कृत एवं सम्मानित करने पर विचार किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वित्तीय वर्ष–2016–17 एवं 2017–18 का अलग–अलग वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु.:– 1. प्रपत्र–1 (लोक सूचना पदाधिकारी के लिए)
2. प्रपत्र–2 (प्रथम अपीलीय प्राधिकार के लिए)

विश्वासभाजन,

सामान्य प्रशासन विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक–प्रतिवेदन के लिए प्रपत्र–2

क्र॰ सं॰	प्रथम अपीलीय प्राधिकार का नाम	प्रथम अपील पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष–2016–17 में प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी, उसकी संख्या (धारा–8 एवं 9 के तहत)	अभ्युक्ति
1.								
2.								
3.								
		कुल योग–						

टिप्पणी :– क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी॰डी॰ एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत नियम–3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।

ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम–3(च) एवं 3(छ) में विहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी॰डी॰ एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम–3(घ) में विहित प्रावधानों के तहत किसी अधिकारी के विरुद्ध किये गये अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में यदि कोई हो तो, प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी॰डी॰ एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

March Wide

सामान्य प्रशासन विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक–प्रतिवेदन के लिए प्रपत्र–1

क्र॰ स॰	लोक प्राधिकार का नाम	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष–2017–18 में लो॰सू॰पदा॰ के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी, उसकी संख्या (धारा–8 एवं 9 के तहत)	कितने मामले में राज्य सूचना आयोग द्वारा लो॰सू॰पदा॰ पर आर्थिक दण्ड तथा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी, उनकी संख्या	आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड की कुल राशि	वसूली की गई कुल राशि	अभ्युक्ति
1.											
2.											
3.											
		कुल योग–									

टिप्पणी :– क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी॰डी॰ एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत नियम–3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हो उनके संबंध में प्रतिवेदन।

ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम–3(च) एवं 3(छ) में विहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी॰डी॰ एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम–3(घ) में विहित प्रावधानों के तहत किसी अधिकारी के विरुद्ध किये गये अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में यदि कोई हो तो, प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी॰डी॰ एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

सामान्य प्रशासन विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक–प्रतिवेदन के लिए प्रपत्र–1

क्र॰ सं॰	लोक प्राधिकार का नाम	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष–2016–17 में लो.सू.पदा. के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी, उसकी संख्या (धारा–8 एवं 9 के तहत)	कितने मामले में राज्य सूचना आयोग द्वारा लो.सू.पदा. पर आर्थिक दण्ड तथा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी, उनकी संख्या	आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड की कुल राशि	वसूली की गई कुल राशि	अभ्युक्ति
1.											
2.											
3.											
		कुल योग–									

टिप्पणी :–

क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी.डी॰ एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत नियम–3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हो उनके संबंध में प्रतिवेदन।

ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम–3(च) एवं 3(छ) में विहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी.डी. एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम–3(घ) में विहित प्रावधानों के तहत किसी अधिकारी के विरुद्ध किये गये अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में यदि कोई हो तो, प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी.डी. एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

March Wide

सामान्य प्रशासन विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक–प्रतिवेदन के लिए प्रपत्र–2

क्र. सं.	प्रथम अपीलीय प्राधिकार का नाम	प्रथम अपील पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष–2017–18 में प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी, उसकी संख्या (धारा–8 एवं 9 के तहत)	अभ्युक्ति
1.								
2.								
3.								
		कुल योग–						

टिप्पणी :–

क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी॰डी॰ एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत नियम–3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले [illegible] उनके संबंध में प्रतिवेदन।

ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम–3(च) एवं 3(छ) में विहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी॰डी॰ एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम–3(घ) में विहित प्रावधानों के तहत किसी अधिकारी के विरुद्ध किये गये अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में यदि कोई हो तो, प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी॰डी॰ एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।